न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:-74/2021 (GCMS No. 2021/79) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामसेबक पुत्र गोपीचन्द जाति वैश्य निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर राजस्थान।

...........अपीलान्ट

बनाम

1. राजकीय शहीद आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों जरिये प्रधानाध्यापक।
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर।

...........रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर आदेश क्रमांक 12/3(4)/राजस्व/2021/19 दिनांक 09.04.2021

उपस्थिति:-

1. अपीलाट्स की ओर से श्री हरवीरसिंह, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 28.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 09.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विद्यायल के कुछ अध्यापकों एवं ग्राम पंचायत सरपंच एवं गॉव के कुछ लोगों द्वारा राजनीति के तहत उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2083 रकवा 0.3667 हैक्टैयर भूमि में से 0.0126 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि का आवंटन राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों के भवन निर्माण हेतु गलत प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर धौलपुर को प्रेषित किये गये। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा बिना मौका देखे और बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये दिनांक 09.04.2021 को कूयें बाली भूमि का आवंटन विद्यालय भवन निर्माण हेतु कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर दलील दी कि प्रार्थी गाँव का सीधा –साधा व्यक्ति है जो कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। विवादग्रस्त जगह का आवंटन राजनीतिक सूझबूझ से स्कूल के नेता अध्यापक द्वारा अपने फायदे के लिए एवं गाँव में अपनी धाक जमाने के लिए कूऐं को बाउन्ड्री के अन्दर लेते हुये बाउण्ड्रीवाल करा दी है जब प्रार्थी को जानकारी हुई तो पता चला कि इस जगह का आवंटन स्कूल को हो गया है। तब दिनांक 03.08.2021 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल 04.08.2021 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर मियाद पेश कर दी जिसमें कोई लापरवाही नहीं की गई। अपील की देरी के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी को माफ किया जावे। इसके अतिरिक्त कथन किया कि अपीलांट की एक धर्मशाला वाके ग्राम तसीमों की आबादी में बनी हुई है। धर्मशाला 123 नेशनल हाईवे से लगी है। कुछ हिस्सा नेशनल हाईवे में जाने के कारण उसका आगे का हिस्सा तोड दिया गया है। अभी धर्मशाला टूटी पडी है। अपीलांट द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। धर्मशाला की पूर्व दिशा में एक कुआ बना हुआ है जो बहुत पुराना है और पक्का घाट बना हुआ है। उक्त कुये के पानी से धर्मशाला में आने वाले लोग पानी पीते हैं व स्नान आदि करते हैं। कुये की उत्तरी पूर्वी दिशा में राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय की बाउण्ड्री बनी हुई है। विद्यालय के कुछ अध्यापकों एवं ग्राम पंचायत सरपंच एवं गाँव के कुछ लोगों द्वारा राजनीति के तहत गलत प्रस्ताव बनाकर जिला कलक्टर धौलपुर को विद्यालय के लिए आवंटन हेतु भेजे गये। जिला कलक्टर द्वारा बिना मौका देखे व बिना सार्वजनिक नोटिस जारी किये दिनांक 09.04.2021 को आवंटन कर दिया। पर्चा मौका के साथ संलग्न नक्शा पर कुआ दर्शाया हुआ है। आवंटन नियमों के मुताबिक कुआँ सार्वजनिक उपयोग का है जिसका आवंटन नहीं हो सकता है। आवंटन आदेश में यह लिखा गया है कि बिना कब्जे की भूमि का आवंटन किया जा रहा है लेकिन आवंटन भूमि में करीब 50 वर्ष पुराना कुआ बना हुआ है। जिसमें 50 वर्षों से आम लोग पानी पीते है तथा स्नान करते हैं। असत्य मौका पर्चा के आधार पर आवंटन किया गया है। धर्मशाला का निर्माण अपीलांट के पूर्व पुरूष रामभरोसीलाल पुत्र भगवंतराम ने करवाया था। अपीलांट जरिये वसीयत स्व. रामभरोसीलाल का वारिस है आवंटित भूमि धर्मशाला का भाग है। इसलिए अपीलांट

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

का हित निहित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2021 को निरस्त किया जावे।अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अधिसूचना दिनांक 10.10.1963 पेश की।

5. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर विवेचन किया जाना उचित समझते हैं। धारा 5 मियाद अधिनिमय प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को एवं अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय-समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2083 रकवा 0.3667 हैक्टे. में से रकवा 2.00 बीघा सिवायचक भूमि के आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर धौलपुर को प्रेषित किये गये। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2021 से राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों के भवन निर्माण हेतु आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि जमाबंदी खतौनी संवत् 2076-2079 में मिल्कियत सरकार लगानी दर्ज है। जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा आवंटन एवं नामांतरकरण के संबंध में दिनांक 03.02.2021 एवं 08.03.2021 को रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी से चाही गई। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 12.03.2021 को रिपोर्ट में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2082 रकवा 0.4552 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर बन्दोवस्त से ही शिक्षा विभाग के नाम दर्ज है। वन्दोवस्त के बाद आवंटन नहीं हुआ है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.08.2020 के अनुसार उक्त भूमि में पूर्व से विद्यालय बना हुआ होना, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आराजी ख.नं. 2083 रकवा 0.3667 में से 17X70 वर्गफुट भूमि विद्यायल की हद में होना, दोनों खसरों का एन.एच. 123 से लगा होना एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं होना अंकित किया है। जिसपर सरपंच ग्राम पंचायत तसीमों, तहसीलदार सैंपऊ, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सैंपऊ के हस्ताक्षर है। उपखण्ड अधिकारी के प्रस्ताव व पटवारी हल्का रिपोर्ट तथा नजरी नक्शा में कुये का कोई अंकन नहीं है। अपीलांट का यह कथन कि उक्त खसरा नम्बर में कुआ है। साबित नहीं और न ही इस संबंध में कोई

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये जिससे उसके कथनों की पुष्टि हो सके। इस प्रकार हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलें प्रकरणाभिन्न होने से पत्रावली पर चस्पा नहीं होती हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और जिला कलक्टर धौलपुर का अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 09.04.2021 यथावत जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

8. आज दिनांक 28.06.2024 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर